

**विश्वभारती
शांतिनिकेतन**

अधिसूचना

यह देखा गया है कि विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारी अनधिकृत संगठन की ओर से विश्वविद्यालय के बिना किसी पूर्व अनुमोदन के विश्वविद्यालय समुदाय से अवैध रूप से धनराशि जुटाने/संग्रह करने के लिए अभियान चला रहे हैं जो कि विश्वविद्यालय नियमों/मानदंडों के विरुद्ध है। इसीलिए, अधोहस्ताक्षरी को कहने का निर्देश हुआ है कि कोई भी अर्थात् शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कार्मिक एवं छात्र, जो विश्वभारती से संबद्ध हैं, विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन के किसी भी उद्देश्य हेतु किसी अनधिकृत संगठन से धनराशि जुटाने की अनुमति नहीं दी जाती है। अन्यथा, विश्वविद्यालय संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने को बाध्य होगा।

संदर्भ सं. आरईजी/अधि./156/06/2023-24
(कार्यकारी)
दिनांक: 16/08/2023

हस्ता/-

कुलसचिव

विश्वभारती

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति अग्रेषित:-

1. सभी निदेशक/प्रिंसिपल/सभी भवन/विभाग/केंद्र के प्रधान
2. सभी प्रशासनिक कार्यालय/अनुभाग के प्रधान
3. कुलानुशासक
4. छात्र कल्याण के अध्यक्ष
5. प्रभारी, सुरक्षा
6. संयुक्त कुलसचिव एवं कुलपति के गोपनीय सचिव
7. कुलसचिव के निजी सहायक
8. हिंदी अधिकारी - हिंदी में अनुवाद कर विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
9. विश्वविद्यालय वेब मास्टर - विश्वविद्यालय वेब साइट पर अपलोड हेतु।